सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष न0– 0135–2675780, फैक्स न0– 0135–2675779
ईमेल : secy-uic@gov.in वैबः http://uic.uk.gov.in

पत्रांक 738 /स्था0/उ0सू0अ0/2025–26 दिनांक 06.06, 2025

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. सचिव, विधान सभा सचिवालय, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, देहरादून/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. सचिव, समस्त आयोग, उत्तराखण्ड।

विषय : लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा सूचना अनुरोध पत्रों एवं प्रथम अपीलों के निस्तारण पत्रों में अपने नाम, पदनाम आदि का विवरण दिये जाने विषयक।

महोदय/महोदया,

आयोग के संज्ञान में तथ्य आया है कि अधिकांश लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्रों का निस्तारण करते समय अनुरोधकर्ताओं को प्रेषित किये जाने वाले पत्रों में मात्र 'लोक सूचना अधिकारी'' लिखते हुये हस्ताक्षर किये जाते हैं। इसी प्रकार अधिकांश प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा प्रथम अपीलों के निस्तारण आदेशों में मात्र 'अपीलीय अधिकारी'' लिखते हुये हस्ताक्षर किये जाते हैं।

यह प्रक्रिया सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अनियमित है, तथा ऐसा करने से अनुरोधकर्ताओं/अपीलकर्ताओं में लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम, विभागीय पदनाम आदि की जानकारी के सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसके अतिरिक्त आयोग में द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी के समय सही अधिकारी को इंगित किये जाने में भी कठिनाई होती है।

आयोग में पंजीकृत द्वितीय अपील तथा शिकायतों के नोटिस, तिथियों की जानकारी, अंतरिम/अंतिम आदेशों की प्रतियों को भी आयोग कार्यालय द्वारा वर्तमान में संबंधित पक्षों को ईमेल तथा मैसेज के रूप में भी प्रेषित किये जाने की व्यवस्था प्रारंभ की गयी है। उक्त सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए भी यह आवश्यक है कि उनके द्वारा द्वितीय अपील तथा शिकायतों तथा उनसे संबंधित किसी भी प्रकार के पत्राचार में अपना मोबाईल नम्बर तथा ईमेल आई.डी. को अवश्य अंकित किया जाये।

इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1239/XXXI(15)G/22-06(सा0))2016 दिनांक 25.10.2022 एवं उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 574/उ0सू0आ0/203/2025–26 दिनांक 21.05.2025 के द्वारा भी प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपेक्षा की गयी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपीलों का निस्तारण करते समय सम्बन्धित पत्र/आदेश में अपना नाम, विभागीय मौलिक पदनाम, दूरभाष/मोबाईल संख्या तथा ई–मेल की पूर्ण जानकारी अवश्य दी जाये और उत्तराखण्ड सूचना आयोग को किये जाने वाले पत्राचार में भी उक्त का अनुपालन किया जाए। प्रायः देखने में आया है कि लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में आयोग द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपीलों का निस्तारण करते समय सम्बन्धित पत्र/आदेश में अपना नाम, विभागीय मौलिक पदनाम, दूरभाष/मोबाईल संख्या तथा ई–मेल की पूर्ण जानकारी अवश्य दी जाये। लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवायी के समय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण में भी उक्त जानकारी दी जानी आवश्यक है। और उत्तराखण्ड सूचना आयोग को किये जाने वाले पत्राचार में भी उक्त का अनुपालन किया जाए।

कृपया अपने अधीनस्थ समस्त लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उपरोक्त दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सूचना आयुक्त

पत्रांक /स्था0/उ0सू0आ0/2025–26 दिनांक , 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. **सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस सम्बन्ध में समस्त लोक प्राधिकारियों को शासन स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।**

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सूचना आयुक्त